न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1, कानपुर देहात।

(J. O. CODE– UP 2422)

प्रकीर्ण वाद संख्या-23/2023

शिवेन्द्र सिंह बनाम अनुज सिंह आदि

धारा- 156(3) दं०प्र०सं०

थाना- रसूलाबाद, कानपुर देहात।

दिनांक-19.01.2023

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि दिनांक 07.12.2022 को समय लगभग 3:30 बजे प्रार्थी अपने दरवाजे पर मिट्टी बराबर कर रहा था तभी पड़ोस के अनुज सिह , मंयक सिंह व कौशलेन्द्र सिंह (गोटू सिंह) लाठी डण्डे लेकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे जिससे प्रार्थी के कन्धे और कमर पर गम्भीर चोटे लगी जिसकी मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी जान बचाकर घर के अन्दर भागा और दरवाजा बन्द कर लिया। इसके बाद उक्त लोग गाली गलौज करते हुए दरवाजे पर लाठियों से चोट करते रहे व जान से मारने की धमकी देते रहे। प्रार्थी दबंगो के भय से पुलिस आने तक घर में बना रहा। प्रार्थी का दिनांक 09.12.2022 को तिलकोत्सव व दिनांक 15.12.2022 को बारात का कार्यक्रम था जिस कारण प्रार्थी अपने निजी कार्यों में व्यस्त था जिसके बाद प्रार्थी ने दिनांक 17.12.2022 को प्रथम प्रार्थनापत्र दिया जिसकी सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर आज तक थाना रसूलाबाद में न तो मुकदमा दर्ज किया गया और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में शिकायती प्रार्थना पत्र की छाया प्रति , जनसुनवाई की रसीद, चिकित्सीय प्रपत्र, असल डाक रजिस्ट्री रसीद दाखिल की है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा से आख्या आहूत की गयी। थाने से इस आशय की आख्या प्राप्त हुई है कि आवेदक ने विपक्षी लोगों के साथ दिनांक 07.12.2022 को मारपीट की थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक व परिवारीजन के विरूद्ध एन०सी०आर० संख्या-235/2022 धारा 323,504 भा०दं०सं० में पंजीकृत हुई थी। उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने मुख्यतः विपक्षीगण द्वारा उसके साथ मार पीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में थाना हाजा से इस आशय की आख्या प्राप्त हुई है कि प्रार्थी शिवेन्द्र ने विपक्षी लोगों के साथ दिनांक 07.12.2022 को मारपीट की थी जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी व उसके परिवारिजन के विरूद्ध एन०सी०आर० संख्या -235/2022 धारा 323,504 भा०दं०सं० में पंजीकृत हुई थी। ऐसी स्थिति में यदि एक ही घटना के सम्बन्ध में एक पक्ष के द्वारा लगाये गये आरोप /अभिकथन की विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है तो न्यायालय को दूसरे पक्ष के आरोप/अभिकथन को भी पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जिससे न्यायालय को इस बिन्दु पर पहुंचने में आसानी होगी कि कथित मारपीट की घटना में कौनसा पक्ष अग्रसर था और कौनसा पक्ष बचाव में था अथवा दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करने में अग्रसर के रूप मे सम्मलित थे। अतः प्रार्थना पत्र के कथानक एवं उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में मामला संज्ञेय प्रकृति का है जिसमें मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थाना के भारसाधक अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करें। आवश्यक अनुपालन हेतु आदेश की प्रति सम्बन्धित थाना को प्रेषित की जाये। तद्नुसार प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं०प्र०सं० निस्तारित किया जाता है।

(संजय राज पाण्डे)
(J.O. Code- UP 2422)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 1,
कानपुर देहात।